

FORM-IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा मेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

I	परियोजना ब्यौरे :-	
i.	उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है -	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बालोद जिला के बालोद वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 4.824 हे. वनभूमि एवं 0.251 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 5.075 हे. वनभूमि प्रस्तावित है।
ii.	अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो) -	बालोद वनमण्डल -5.075 हे. आरक्षित वन 3.599 हे. संरक्षित वन 1.225 हे. राजस्व वन 0.251 हे.
iii.	परियोजना की कुल लागत -	76 करोड़ 89 लाख
iv.	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाऐ -	बालोद जिला के बालोद वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु माँग कि गई वनभूमि न्यूनतम है। इसमें वृक्ष विदोहन नहीं होना है तथा तकनीकी दुष्टीकोण से अत्यंत उपयुक्त है। इस परियोजना में समस्त पहलुओं को जाचने के उपरांत निकर्ष निकला कि वनभूमि के उपयोग को नकारा नहीं जा सकता है।
v.	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ -	बालोद जिला के बालोद वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत डौंडी एवं डौंडीलोहारा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे।

vi.	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी -	बलोद जिला के बालोद वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत डौंडी एवं डौंडीलोहारा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के ग्रामवासीबालोद
vii.	सृजित रोजगार	निरंक
2	परियोजना स्कीम का स्थान :-	
i	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश -	छत्तीसगढ़
ii	जिला -	बालोद
iii	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट -	संलग्न पेज क्रमांकबालोद बालोद बालोद से
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा -	बालोद वनमंडल -5.075 हैं. आरक्षित वन 3.599 हैं. संरक्षित वन 1.225 हैं. राजस्व वन 0.251 हैं.
4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा -	
i	वन की वैधानिक स्थिति (नामत: आरक्षित/ सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) -	बालोद वनमंडल -5.075 हैं. आरक्षित वन 3.599 हैं. संरक्षित वन 1.225 हैं. राजस्व वन 0.251 हैं.
ii	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा -	आवश्यक नहीं है।
iii	वनस्पति की सघनता -	आवश्यक नहीं है।
iv	वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार -	आवश्यक नहीं है।
v	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं -	आवश्यक नहीं है।
vi	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें)	आवश्यक नहीं है।
vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना /स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा -	ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल रकबाबालोद बालोद 5.075 हैं. भूमिबालोद उपयोग की जानी है।

viii	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियां -	आवश्यक नहीं है।
ix	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है	बालोद वनमंडल अंतर्गत टाईगर का संभावित रहवास है, जो स्थायी नहीं है, पूर्व में राजनागांव से बालोद जिले के ग्राम लाटाबोड़ से परिक्षेत्र गुरुर अंतर्गत वर्तमान में संभावित रहवास है, यह तथ्य सत्य है, कि बालोद वनमंडल के वनक्षेत्रों में तेन्दुआ, भालु, लकड़बध्वा नीलगाय, चितल, कोटरी, पाये जाते हैं।
x	प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	आवश्यक नहीं है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा -	
i	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	आवश्यक नहीं है।
ii	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	आवश्यक नहीं है।
iii	विस्तृत पुनर्वास योजना -	आवश्यक नहीं है।
6	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे -	
i	क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार -	आवश्यक नहीं है।
ii	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र /अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र -	आवश्यक नहीं है।
iii	रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम -	आवश्यक नहीं है।
iv	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय -	आवश्यक नहीं है।
v	वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता. किये जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो)	आवश्यक नहीं है।

vi	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेतर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र -	आवश्यक नहीं है।
vii	पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल पारेषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये -	आवश्यक नहीं है।
	a. पारेषण लाइन की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
	b. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाइन की लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
	c. मार्ग का अधिकार -	आवश्यक नहीं है।
	d. निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
	e. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
	f. पारेषण टावरों की ऊंचाई -	आवश्यक नहीं है।
7	सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए -	
i	कुल आवाह क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
ii	कुल कमानु क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
iii	कुल जलाशय स्तर -	आवश्यक नहीं है।
iv	उच्च बाढ़ स्तर -	आवश्यक नहीं है।
v	न्यूनतम प्राप्ति स्तर -	आवश्यक नहीं है।
vi	परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागृह भूमि, मावन आबादी तथा अन्य) -	आवश्यक नहीं है।
vii	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र-	आवश्यक नहीं है।
viii	पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र-	आवश्यक नहीं है।
ix	पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है।

x	पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	आवश्यक नहीं है।
xi	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
xii	विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना -	आवश्यक नहीं है।
xiii	कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में -	आवश्यक नहीं है।
8	सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे -	आवश्यक नहीं है।
9	केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये -	आवश्यक नहीं है।
i	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
ii	सड़क की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
iii	पहले बनाई जा चुंकि सड़क की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)	आवश्यक नहीं है।
i	कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
ii	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि -	आवश्यक नहीं है।
iii	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार -	आवश्यक नहीं है।
iv	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन -	आवश्यक नहीं है।
v	खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	आवश्यक नहीं है।
vi	चरणबद्ध सुधार योजना -	आवश्यक नहीं है।
vii	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान -	आवश्यक नहीं है।
viii	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें -	आवश्यक नहीं है।

ix	नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
x	निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल -	आवश्यक नहीं है।
	a. खनन -	आवश्यक नहीं है।
	b. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारण -	आवश्यक नहीं है।
	c. अधिभार को जमा करना -	आवश्यक नहीं है।
	d. औजारों एवं मशीनों का भण्डारण -	आवश्यक नहीं है।
	e. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नहीं है।
	f. शहर, आवास, कालोनियां -	आवश्यक नहीं है।
	g. सड़क/रेल्वे मार्ग/रज्जु मार्ग काबालोद बालोद निर्माण	आवश्यक नहीं है।
	h. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नहीं है।
xi	परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं	आवश्यक नहीं है।
xii	खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
xiii	बारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दूरी -	आवश्यक नहीं है।
xiv	पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया)	आवश्यक नहीं है।
xv	भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव -	आवश्यक नहीं है।
II	लागत लाभ विश्लेषण -	आवश्यक नहीं है।

12	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये है (हां/नहीं)	आवश्यक नहीं है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है.(हां/नहीं) यदि हां तो -	नहीं।
	a. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे -	नहीं।
	b. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी -	नहीं।
	c. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही -	नहीं।
	d. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुये कार्य किया जा रहा है -	नहीं।
14	कोई अन्य सूचना -	नहीं है।
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे-	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज

16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात् -	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बालोद जिला के बालोद वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने हेतु प्रभावित 4.824 हे. वनभूमि एवं 0.251 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबाबालोद 5.075 हे. वनभूमि प्रस्तावित है।
i.	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद -	
ii.	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	
iii.	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव -	
	a. ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति -	प्रस्तावितबालोद वनक्षेत्र में मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासीयो और पिछाडे समुदायो के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
	b. आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका -	
iv.	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें -	

प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।



वास्ते - अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

FORM - A

3.1

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I (To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

(i). Proposal No. : FP/CG/OFC/43110/2019

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : BharatNet Phase-II Balod_Division

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State.

(iv). State : Chhattisgarh

(v). Category of the Project : Optical Fibre Cable

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 7689

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 5.075

(ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 36.431

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 20

A-2. Details of User Agency

(i). Name : CHIPS

(ii). Address1 : Chhattishgarh Infotech Promotion Society

(iii). Address2 : 3rd Floor,State Data Center Building,Civil Lines Raipur Chhattishgarh

(iv). State : Chhattisgarh

(v). District : Raipur

(vi). Pin : 492001

(vii). Landmark : Opp.New Circuit House



- 32
- (vii). Email address : ceochips@nic.in
- (ix). Landline Telephone No. : 771-4014158
- (x). Fax No. : 771-4066205
- (xi). Mobile No. : 9632444223
- (xii). Website (if any) : www.chips.gov.in
- (xiii). Legal status of User Agency : State Government

A-3. Details of Person Making Application

- (i). First Name: Vivek
- (ii). Middle Name: NIL
- (iii). Last Name: Chandrakar
- (iv). Gender: Male
- (v). Designation: JCEO
- (vi). Address 1: CHIPS, 2nd Floor, SDC Building, Civil Line Raipur
- (vii). Address 2: NIL
- (viii). State: Chhattisgarh
- (ix). District: Raipur
- (x). Tehsil: Raipur
- (xi). Pin: 492001
- (xii). Landmark: New Circuit house
- (xiii). Email Address: vivek.chandrakar@cgchips.in
- (xiv). Landline Telephone No.: 771-4014158
- (xv). Fax No.: 07714066205
- (xvi). Mobile No.: 9993303403
- (xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: 

B.



Details of land required for the Project

33

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

Proposal Submitted In Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
1	Inprinciple	FP/CG/Others/32736/2018	F-7-3/2018/10-2,Raipur Dated 26.05.2018	1.222	1.222	26 May 2018	
2	Inprinciple	FP/CG/Others/28811/2017	F-5-10/2018/10-2,Raipur Dt 19/06/2018	2.488	2.488	19 Jun 2018	
3	Inprinciple	FP/CG/Others/27433/2017	F-7-3/2018/10-2,Raipur Dt.26.05.2018	0.854	0.854	26 May 2018	
4	Inprinciple	FP/CG/Others/27427/2017	F-5-15/2018/10-2,Raipur Dt.28/04/2018	1.588	1.588	28 Apr 2018	
5	Inprinciple	FP/CG/Others/27425/2017	F-5-11/2018/10-2,Raipur Dt.28/04/2018	3.959	3.959	28 Apr 2018	
6	Inprinciple	FP/CG/Others/27423/2017	F-5-12/2018/10-2,Raipur Dt.11/06/2018	2.014	2.014	11 Jun 2018	
7	Inprinciple	FP/CG/Others/27422/2017	F-5-9/2018/10-2,Raipur Dt.28/04/2018	3.064	3.064	28 Apr 2018	
8	Inprinciple	FP/CG/Others/27420	F-5-08/2018/10-2,Raipur Dt.28/04/2018	2.383	2.383	28 Apr 2018	
9	Inprinciple	FP/CG/Others/27383/2017	F-5-16/2018/10-2,Raipur Dt. 28/04/2018	0.947	0.947	28 Apr 2018	

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Balod	5.075	36.431

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Balod	5.075	36.431



B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Aasra	0	0.282
2	Aatargaon	0	0.218
3	Acholi	0	0.25
4	Adeyghar	0	0.531
5	Adjal	0	0.255
6	Allikhuta	0	0.355
7	Allikhutaa	0	0.178
8	Amaadula	0.01	0.132
9	Amabahara	0.147	0
10	Andi	0	0.031
11	Arajpuri	0	0.142
12	Armurkasa	0	0.023
13	Auonri	0	0.254
14	Awari	0	0.28
15	Badajungera	0	0.839
16	Badgaon	0	0.189
17	Bagaikonha	0	0.011
18	Bahera Bhata	0	0.003
19	Balod	0.119	0
20	Bambni	0.127	0.412
21	Batera	0	0.015
22	Beloda	0.135	0.106
23	Bhaisbor	0	0.075
24	Bhalukonha	0	0.356
25	Bhandera	0	0.138
26	Bhanwarmara	0	0.276
27	Bharda	0	0.252
28	Bharda Lo	0	0.012
29	Bharna Bhat	0	0.098
30	Bharritola	0	0.037
31	Bhendhi	0.009	0.423
32	Bhendi Lo	0	0.095
33	Bhimatola	0	0.339
34	Bhimatola(Dhotim Tola)	0	0.207
35	Bhimkanhar	0	0.287
36	Bhimpuri	0	0.271
37	Bhurkabhat	0	0.184
38	Bijoura	0	0.275
39	Bitai	0	0.027
40	Borgaon	0	0.01
41	Bundeli	0	0.093
42	Che.B.Nawagaon	0	0.043
43	Chiharo	0.06	0.573
44	Chikhali	0.096	0.128
45	Chikhlakasa	0	0.011



46	Chikhli	0.311	0.072
47	Chilangota	0	0.179
48	Chindgaon	0	0.313
49	Chipra	0	0.045
50	Daihan	0.15	0
51	Dalli Kudari	0	0.169
52	Dalli Rajhara	0.07	0.211
53	Danitola	0.098	0.093
54	Dengrspar	0	0.003
55	Devri	0	0.14
56	Dhangaon	0	0.07
57	Dhobani/Putarwahl	0	0.189
58	Dhobedand	0	0.982
59	Dhourithema	0.16	0
60	Dhurwatola	0	0.087
61	Dighawadi	0.076	0
62	Dondi	0	0.972
63	Dondi Basti	0	0.105
64	Dondi Lohara	0	2.458
65	Dudhli	0.012	0.091
66	Gahira Nawagaon	0	0.201
67	Gainji	0.086	0.195
68	Gandhari	0.02	0
69	Gangolidih	0.112	0
70	Ganjai Dih	0	0.03
71	Garka	0	0.02
72	Ghina	0	0.124
73	Ghotiya	0.266	0.249
74	Gidhva	0	0.167
75	Gudum	0	0.479
76	Gujra	0	0.443
77	Hadgahan	0	0.103
78	Hardi	0	0.103
79	Hitapathar	0.006	0.065
80	Jabkasa	0.14	0
81	Jamani	0.015	0
82	Jatadah	0.019	0.287
83	Jevartala	0	0.27
84	Jharantola	0.06	0.347
85	Jhitiya	0	0.075
86	Junnapani	0.043	0.175
87	Kamkapar	0	0.342
88	Kamta	0	0.159
89	Kandey	0	0.2
90	Kanjeli	0.059	0
91	Kapsi	0	0.085
92	Karregaon	0	0.249
93	Kartutola	0	0.105
94	Kasahikala	0	0.011
95	Kasarma	0	0.023



(36)

96	Kaungondi	0.046	0.832
97	Kenwat Nawagaon	0	0.027
98	Khaira	0	1.026
99	Khairkatta	0	0.125
100	Khairwahi	0	0.096
101	Khalari	0.032	0.273
102	Khamtarai	0	0.44
103	Khapri	0	0.072
104	Kharthuli	0	0.189
105	Khertha Bajar	0	0.014
106	Kholjhar	0	0.196
107	Killekoda	0	0.13
108	Kishna	0	0.26
109	Koba	0	0.114
110	Kochera	0	0.397
111	Kodekasa	0	0.091
112	Koshni	0	0.002
113	Kotagaon	0.128	0.449
114	Kotera	0	0.691
115	Kudaridalli	0.032	0
116	Kumarkatta	0.038	0.043
117	Kumbhali	0.089	0
118	Kunjanhar	0	0.028
119	Kusumkasa	0.091	0.015
120	Limaudih	0.033	0.049
121	Lohara	0.151	0
122	Lohartola	0.108	0
123	Madiyakatta	0	0.146
124	Maharajpur	0	0.274
125	Mangaltarai	0	0.133
126	Mangchuwa	0.141	0.501
127	Manki	0	0.414
128	Manki K	0	0.605
129	Mardel	0.036	0.058
130	Mariyakatta	0.01	0
131	Markatola	0	0.055
132	Marri D	0	0.027
133	Matri	0.171	0
134	Mudhiya	0.025	0.218
135	Mudkhusra	0	0.143
136	Mudpar	0.038	0
137	Mundori	0.004	0
138	Munjgahan	0	0.309
139	Nahanda	0	0.176
140	Nalkasa	0.029	0.082
141	Nalpani	0.004	0
142	Narratola	0	0.157
143	Navagaon	0	0.372
144	Pachera	0	0.043
145	Papra	0	0.547



146	Parsadih	0	0.112
147	Parsadih J	0	0.205
148	Parsuli	0	0.073
149	Pasoud	0	0.243
150	Pateli	0	0.74
151	Pathratola	0	0.457
152	Pendhri	0	0.17
153	Pendri	0.034	0
154	Peracuwa(Narralguda)	0	0.016
155	Phardhpod	0	0.039
156	Pingal	0	0.393
157	Pinkapar	0	0.013
158	Piperkhar Kh	0	0.111
159	Piperkhar N	0	0.118
160	Pusawad	0	0.41
161	Puttarwahi	0.056	0
162	Ragho Nawagaon	0	0.117
163	Rajhi	0	0.014
164	Rajolidih	0.214	0
165	Ram Nagar	0.133	0
166	Ranakhujji	0	0.112
167	Ranitarai	0	0.247
168	Rengadabri	0.042	0.202
169	Sahgaon	0	0.008
170	Salhaitola	0	0.188
171	Salhe	0	0.035
172	Sambalpur K	0	0.307
173	Sambalpur Lo	0	0.216
174	Sanjari	0	0.213
175	Semhardih	0	0.278
176	Singanwahi	0.047	0.136
177	Singarpur	0	0.191
178	Singhola	0.353	0.327
179	Sivani	0	0.103
180	Sorli	0	0.093
181	Suarbod	0	0.285
182	Suregaon	0	0.09
183	Sursuli	0	0.031
184	Tatenga	0	0.042
185	Tekapar	0.012	0
186	Tekathora	0.16	0.274
187	Dhowni	0	0.208
188	Kuwagaon	0	0.032
189	Themabujurg	0	0.052
190	Thorithema	0	0.084
191	Tumadikasa	0.081	0.024
192	Tumdisur	0.081	0
193	Tumrhikasa	0.04	0
194	Tumrhisur	0.122	0
195	Turmuda	0	0.201

371



196	Urjhe	0.088	0
-----	-------	-------	---

38

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	ofc	5.075	36.431

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1, : Balod										
(I). Area of forest land proposed to be diverted(In ha.) : 5.075 (II). : Linear (b). No. of Segments : One <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Segment wise details</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Segments</th> <th style="width: 35%;">Segment Area(In ha.)</th> <th style="width: 50%;">Kml File of Segments</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">5.075</td> <td style="text-align: center;">  View File </td> </tr> </tbody> </table> (iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:  (iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 		Segment wise details			Segments	Segment Area(In ha.)	Kml File of Segments	1.	5.075	 View File
Segment wise details										
Segments	Segment Area(In ha.)	Kml File of Segments								
1.	5.075	 View File								

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

- (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 
- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: No
- (a). Reason for not providing such map NIL

E. Employment likely to be generated

- (i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes
- (ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 25
- (iii). Temporary Employment(Number of person-days): 30

F. Displacement of People due to the Project, if any.

- (i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project



(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: No

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ? : No

(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: Laying of telephone/optical fibre lines

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		Forest Area Statement
2		Lidar/DGPS Survey Report
3		Project Approval Copy
4		LOI Issued To TPL
5		Demand Draft for Registration & Processing Fee
6		Letter to Collector_FRA & NOC

Print page

